

समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

पत्रांक/रा0,

प्रेषक,
समाहर्ता, बक्सर

सेवा में,
अंचल अधिकारी,
डुमराँव।

बक्सर, दिनांक / /2018

विषय : मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-050-भूमि, समुह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0107-पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय, मांग संख्या-40 विपत्र कोड 40-4047000500107 विषय शीर्ष-5302 भू-अर्जन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,98,000/- (एक लाख अनठानबे हजार) रुपये मात्र राशि का उपावंटन।

प्रसंग : सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- 5/4047 गृहस्थल (पि0वर्ग) आ0-20/2017-18-29(5)/रा0, दिनांक 12.09.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-050-भूमि, समुह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0107-पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय, मांग संख्या-40 विपत्र कोड 40-4047000500107 विषय शीर्ष-5302 भू-अर्जन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,98,000/- (एक लाख अनठानबे हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन 1,98,000/- (एक लाख अनठानबे हजार) रुपये को संबंधित अंचल अधिकारी को मांग के अनुरूप निम्ननवत उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	अंचल का नाम	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डुमराँव	0.00	1,98,000.00	1,98,000.00
	कुल		1,98,000.00	1,98,000.00

उपर्युक्त उपावंटित राशि की निकासी एवं व्यय निम्न शर्तों के तहत की जायेगी :-

1. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु की जा रही है तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।
2. यह उपावंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 वि0(2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

4. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाण संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय। साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय।
5. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में उस राशि का विचलन नहीं किया जाय। अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार है।
6. उपावंटन पत्र का प्रत्येक पृष्ठ पर जिला पदाधिकारी, बक्सर का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

30/-

समाहर्ता, बक्सर

ज्ञापांक 03-04/18 /रा0, दिनांक 16-02-20/18.....।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमराँव / कोषागार पदाधिकारी, डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर / आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

Aniy
15/02/18

समाहर्ता, बक्सर